रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-243969
CG-DL-E-01032023-243969

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2023/फाल्गुन 9, 1944
No. 115] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2023/PHALGUNA 9, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2023

सा.का.नि. 139(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियाँ) नियम, 2019 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335 (अ.), तारीख 29 अप्रैल, 2019, के अधीन तत्कालीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, के तीस दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 2 मई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

और ये नियम प्रकाशन से पहले रिट या. (सि.) 9056/2016 और अन्य संबंधित मामलों में 10 अप्रैल, 2019 के निर्देशों के अनुसार 24 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके विचार के लिए रखे गए थे;

और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने उक्त मामले में तारीख 17 नवंबर, 2022 के अपने आदेश द्वारा भारत सरकार को नियमों को अधिसूचित करने की स्वतंत्रता दी है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के साथ पठित धारा 38 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता (अंडे देने वाली मुर्गियाँ) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य - इन नियमों के अंतर्गत गैलस गैलस डोमेस्टिकस प्रजातियों की वाणिज्यिक चूजों या मुर्गियों के लिए अंडे के उत्पादन हेतु परम्परागत आश्रय घेरों, जिन्हें पहले बैटरी पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था, में रखी गई अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों के लिए स्थान की अपेक्षा को स्पष्ट करने हेतु उनके लिए स्थान उपलब्ध कराने का समाधान किया गया है।

3. **परिभाषाएं –** (1) इन नियमों में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो, -

(i) 'अधिनियम' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;

(ii) 'परम्परागत आश्रय घेरों', (जिन्हें पूर्व में बैटरी या कैलीफोर्निया पिंजरों के रूप में उल्लिखित किया गया था) से ऐसा घिरा हुआ क्षेत्र अभिप्रेत है जिसका विस्तार अलग-अलग हो सकता है तथा जिसमें अंडे देने वाली मुर्गियों और चूजों की संख्या न्यूनतम अपेक्षित स्थान के अनुरूप होगी ताकि उनके प्रति क्रूरता का निवारण हो सके।

(iii) 'पर्यावरणीय स्थिति' से वह स्थान अभिप्रेत है जहां मुर्गी पालन किया जा रहा है।

(iv) 'फार्म' से वह भूमि, भवन, सहायक सुविधाओं और अन्य उपकरणों से अभिप्रेत है, जिन्हें अंडों के उत्पादन हेतु मुर्गी पालन में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से उपयोग में लाये जाते हैं, परन्तु फार्म परिसर रजिस्ट्रीकरण प्रयोजनार्थ के लिए सन्निहित प्रकृति के होने चाहिए।

(v) 'फार्म का स्वामी' अथवा 'फार्म संचालक' से किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा व्यवसायी अथवा कृषक संगठनों अथवा समिति अभिप्रेत है जो फार्म के स्वामी हैं अथवा उसके संचालन को नियंत्रित करते हैं और इनमें व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिनके ओर से फार्म संचालित किया जा रहा है।

(vi) 'अंडे देने वाली मुर्गियाँ' मानव उपभोग और अन्य उपयोग हेतु अंडों के वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए रखी गई *गैलस गैलस डोमेस्टीकस* प्रजाति की यौन परिपक्व मादा पक्षी अभिप्रेत है।

(vii) 'लेयर पुलेट्स' से अंडे सेने से यौन परिपक्वता होने तक वाणिज्यिक रूप से लेयर उत्पादन प्रयोजनों के लिए संवर्धन की गई *गैलस गैलस डोमेस्टीकस* प्रजाति की मादा पक्षी अभिप्रेत है।

(viii) 'रजिस्ट्रीकरणकर्ता प्राधिकरण' से राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के पशु पालन विभाग अभिप्रेत है जहां मुर्गी पालन फार्म स्थापित किया गया है।

(ix) "पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु समिति (एसपीसीए)" से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए समितियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के नियम 2 के खण्ड (ड.) में यथापरिभाषित समिति अभिप्रेत है (26 मार्च, 2001 के का.आ. 271(अ.) द्वारा अधिसूचित) ।

(x) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित किए गए राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

(xi) "पशु चिकित्सा व्यवसायी" से भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 2 के खंड (छ) में यथा पारिभाषित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है।

(xii) 'डब्ल्यूओएएच'- विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच), 181 सदस्य देशों सहित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिन्होंने विश्व भर में पशु-स्वास्थ्य में सुधार करने और कल्याण करने के लिए इसे अधिदेश दिया है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और भारतीय पशुचिकित्सा परिषदअधिनियम, 1984 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

4. **नियमों का लागू होना -** ये नियम उन फार्मों पर लागू होंगे, जहां कॉलोनी के बाड़ों में अंड़े देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है।

5. **फार्मों का रजिस्ट्रीकरण –** (1) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरणकर्ता प्राधिकरण द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रति फार्म मुर्गियों और/अथवा चूजों की ऐसी संख्या रख रहे फार्मों का स्वामित्व रखने वाले अथवा फार्मों का प्रभार रख रहे व्यक्ति अथवा हस्तियां, संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के पशु पालन विभाग से अपने फार्मों को रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए आवेदन करेंगे।

(2) राज्य का पशु पालन विभाग रजिस्ट्रीकरण की स्वीकृति देते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित करेगा जो वह इन नियमों के उचित क्रियान्वयन के लिए उचित समझें।

(3) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र में फ़ार्म की रूपरेखा, पशु पालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा उपबंधित जैव-सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं और नियम के अधीन अपेक्षित अन्य सुसंगत सूचना होंगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण, नियमानुसार होने के संबंध में समाधान होने पर फ़ार्म का रजिस्ट्रीकरण करेगा और एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इसके जारी किए जाने की तारीख से पांच वर्ष के लिए विधिमान्य होगा तथा फ़ार्म का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति विद्यमान-प्रमाण-पत्र के समाप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर एक आवेदन पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को आवेदन करके इस प्रमाण-पत्र का समय-समय पर नवीकरण करा सकेगा।

(6) प्रत्येक फ़ार्म जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले ही प्रचालन में है इनके प्रारंभ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर स्वयं को संबंधित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के पशु पालन विभाग में रजिस्ट्रीकृत कराएगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को फ़ार्म में किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

6. **मुर्गी पालन फ़ार्म के स्वामी या फ़ार्म प्रचालक का उत्तर दायित्व:-** (1) फ़ार्म या कंपनी या सोसाइटी या संगठन का स्वामी या प्रचालक अंडा देने वाली मुर्गियों के कल्याण के लिए दी गई पर्यावरणीय शर्तों के अनुसार इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यदि संविदाकार तथा किसानों के बीच कोई ऐसी संविदाहै जिसके अधीन मुर्गी पालन फ़ार्म हेतु, फ़ार्म के स्वामी के लिए निवेश संविदाकार द्वारा किया जाना है तो फ़ार्म का स्वामी और संविदाकार दोनों ही इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) यदि फ़ार्म पर सरकार का स्वामित्व है तो इन नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संस्था के प्रधान का होगा।

7. **निरीक्षण का प्राधिकार दिए जाने की शक्ति.-** पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु, राज्य या संघराज्य क्षेत्र का पशु पालन विभाग या बोर्ड या राज्य बोर्ड या जिला सोसाइटी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर के अधिकारियों को किसी फ़ार्म का निरीक्षण करने और ऐसे निरीक्षण के निष्कर्षों की एक रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और उपयुक्त स्तर के अधिकारी-

(i) किसी उपयुक्त समय पर फ़ार्म में प्रवेश कर सकते हैं और फ़ार्म का निरीक्षण कर सकते हैं; किसी व्यक्ति से रजिस्ट्रीकृत फ़ार्म के संबंध में उसके द्वारा रखे गए फ़ार्म रूपरेखा रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने की मांग कर सकते हैं।

(ii) निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकारी अधिकारी उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र के पशुपालन विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट जैव-सुरक्षा प्रोटोकोलों और नियमों का पालन करेगा।

(iii) कोई भी निरीक्षक,संक्रमण का निवारण करने के लिए जैव-सुरक्षा सरोकारों के अधीन किसी फ़ार्म का निरीक्षण, बहत्तर घंटे की अवधि के भीतर एक से अधिक बार नहीं करेगा और जैव सुरक्षा प्रोटोकोलों को सुनिश्चित करने के लिए उसे अपने सभी निरीक्षणों का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

8. अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए स्थान प्रबंधन

सभी नए फ़ार्मों या पुराने पिंजरों के प्रतिस्थापन (जिस भी नाम से पुकारें) के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्टताओं को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात:-

(i) प्रत्येक पक्षी के लिए फर्श का स्थान पांच सौ पचास वर्ग सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और

(ii) प्रत्येक घेरों में प्राधिमानत: कम से कम 6 से 8 पक्षी रखे जाने चाहिए और इस प्रकार अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए अंडे देने, खड़े होने, पंख फड़-फड़ाने, आसपास घूमने और चारे तथा पानी तक पहुंचने के लिए उचित स्थान को सुनिश्चित किया जाएगा।

9. स्थान उपलब्धता के रिकॉर्डों का रखा जाना :

(1) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकतम आवासन घनत्व सीमा से अधिक न हो और मुर्गियों के लिए उपलब्ध कुल फर्श क्षेत्र; स्थान उपलब्धता; और आवास के भीतर रखे जाने वाले पक्षियों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।

(2) फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक उपलब्ध पक्षियों की संख्या, दैनिक मौतों और मारे गए पक्षियों की संख्या का रिकॉर्ड रखेगा।

(3) ये रिकॉर्ड विहित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए, स्पष्टीकरण "निर्धारित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

10. चारे के संबंध में प्रतिषेध : अण्डे देने वाली मुर्गियों के चारे के संबंध में निम्नलिखित प्रतिषेधित होगा: -

(i) मुर्गियों को मरे हुए चूजों के अवशेषों के साथ चारा देना प्रतिषेधित होगा।

(ii) विकास को बढाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं का प्रयोग प्रतिषेधित होगा।

(iii) एंटी-माइक्रोबियल दवाओं को चिकित्सीय प्रयोजनों (रोग के उपचार) के लिए और किसी पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन ही दिया जाएगा।

(iv) रोआँ गिराने के लिए चारा न दिया जाना प्रतिषेधित होगा।

11. पशुचिकित्सीय देखभाल: -

i. फ़ार्म का स्वामी या प्रचालक आवासन के दौरान और आपातकालीन पशुचिकित्सीय देखभाल की स्थिति में पर्याप्त प्रबंधन और पशुचिकित्सीय देखभाल उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त जनशक्ति, जिसमें पंजीकृत पशु चिकित्सक सम्मिलित है, को नियोजित करेगा।

ii. आपात स्थिति में पशु चिकित्सक से संपर्क के लिए संपर्क ब्यौरे किसी सहज-दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किए जाने चाहिएं।

12. नर चूजों की सुख मृत्यु:- अंडज उत्पत्तिशाला (हैचरी) नर चूजों की सुख मृत्यु के लिए डब्ल्यूओएएच के दिशानिर्देशों में विहित किसी क्रियाविधि का उपयोग करेगी।

13. प्रजनन अशक्त मुर्गियों का निस्तारण:फ़ार्म, प्रजनन अशक्त मुर्गियों को विशेष रूप से अनुज्ञप्ति धारक बूचड़खानों या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को बेचेगा तथा प्रजनन अशक्त मुर्गियों को लाना, ले जाना और उनका वध लागू नियमों के अनुसार होगा।

14. रजिस्ट्रीकरण रद्द करना : यदि किसी मुर्गी पालन फ़ार्म का रखरखाव, इन नियमों के अधीन आवश्यक तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी लिखित में कारण बताओ नोटिस देने के बाद और तीस दिनों की अवधि के भीतर व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने का अवसर देते हुए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है।

15. रजिस्ट्रीकरण का निरसन : यदि फ़ार्म, निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों का एक विशिष्ट समय-सीमा के भीतर अनुपालन करता है तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण को रद्द न करने पर विचार किया जाएगा।

16. अपील : किसी भी फार्म के रजिस्ट्रीकरणसे इनकार या रद्द करने के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

17. शास्तियां :यदि कोई फ़ार्म का स्वामी या फ़ार्म का प्रभारी, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अधीन यथा निर्धारित जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा तथा जब उल्लंघन एक इकाई द्वारा किया जाता है, तो प्रभारी व्यक्ति और फार्म पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले को अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार दंडनीय होगा।

18. प्रवर्तन समय : (1) राज्य सरकारें इन नियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक प्रशासनिक उपबंधों को 31 जुलाई, 2023 तक या उससे पहले अधिसूचित करेंगी एवंऐसे राज्य इसे तुरंत मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग, नई दिल्ली को सूचित करेंगे।

(2) विद्यमान फार्म, 01 जनवरी, 2029 तक या उससे पहले नए पशु कल्याण दिशानिर्देशों को अपनायेंगे।

[फा.सं.आर-99014/13/2019-एएनएलएम_डीएडीएफ]

डॉ ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

G.S.R. 139(E).—Whereas a draft of the Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification of the Government of India in the Erstwhile Ministry of Agriculture and Farmers Welfare number GSR 335(E), dated the 29th April, 2019, inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days, from the date of which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd May, 2019;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying;

And whereas the rules before publication were placed before the Hon'ble High Court of Delhi on 24th October, 2019 for their consideration as per the directions dated 10th April, 2019 in the matter WP (C) 9056 of 2016 and other connected matters;

And whereas, the Hon'ble High Court of Delhi vide its order dated 17th November, 2022 in the said matter has given liberty to Government of India to notify the rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 38 read with clause (e) of sub-section (1) of section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Prevention of Cruelty to Animals (Egg Laying Hens) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives.- These rules address space allowance for commercial layer pullets or laying hens of species *Gallus gallus domesticus* to clarify space requirement of laying hens and layer pullets kept in conventional colony enclosures, previously referred to as battery cages, for egg production.

3. Definitions.– (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(i) 'Act' means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);

(ii) 'conventional colony enclosures' (previously referred to as battery cages or California cages whatever name it may call) means a confined area which can have varying dimensions and number of laying hens and layer pullets conforming to minimum space required so as not to inflict cruelty.

(iii) 'environmental condition' means the location where poultry farming is taking place.

(iv) 'farm' means the land, building, support facilities, and other equipment that are wholly or partially used in poultry farming for the production of eggs:

Provided that the farm premises should be contiguous in nature for registration purpose.

(v) 'farm owner' or 'farm operator' means any person or company or entrepreneur or farmers organisation or society who own or controls the operation of a farm and includes individual and any other person on whose behalf the farm is being run;

(vi) 'laying hens' means sexually mature female birds of the species *Gallus gallus domesticus* kept for the commercial production of eggs for human consumption and other usage.

(vii) 'layer pullets' means the female birds of the species *Gallus gallus domesticus* raised for commercial layer production purposes from hatch until the onset of sexual maturity:

(viii) 'Registering Authority' means the Animal Husbandry Department of the State and Union territories designated as such where the poultry farm is established.

(ix) "Society for Prevention of Cruelty to Animals" means the society as defined in clause (e) of rule 2 of the Prevention of Cruelty to Animals (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of Cruelty to Animals) Rules, 2001 (published in the Gazette of India vide S.O. 271(E), dated 26th March, 2001).

(x) "State Board" means a State Animal Welfare Board constituted in a State by the State Government.

(xi) "Veterinary practitioner" means a registered Veterinary practitioner as defined in clause (g) of section 2 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984).

(xii) "WOAH" – World Organisation for Animal Health is an international organisation with 181 member countries, which have given it a mandate to improve animal health and welfare throughout the world.

(2) Words and explanations used herein and not defined but defined in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Indian Veterinary Council Act, 1984 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

4. Application of rules.- These rules shall apply to the farms where egg laying hens are housed in colony enclosures.

5. Registration of farms.- (1) The persons or entities owning or having charge of farms keeping such number of laying hens or layer pullets per farm as may be specified by the Registering Authority of the

concerned State or Union territories shall apply, to get their farms registered with the Animal Husbandry Department of the concerned State Government or Union territory.

(2) The Animal Husbandry Department of the State of Union territory shall while granting registration, impose such conditions as it may deem fit for proper implementation of these rules.

(3) The application for Registration shall include the farm layout, bio-security arrangement as provided from time to time by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and other relevant information required under the rules.

(4) The Registering Authority, if satisfied that the enclosures are as per the rules, it shall register the farms and issue a certificate of registration.

(5) The certificate of registration shall be valid for five years from the date of its issuance and the certificate may be renewed from time to time through an application made by the person owning or in-charge of the farm to the Registering Authority, within a period of three months from the date of expiry of the existing certificate of registration.

(6) Every farm operating prior to the commencement of these rules shall within a period of three months from the date of its commencement, register itself with the Animal Husbandry Department of the concerned State or Union territory.

(7) The registration certificate shall be displayed in a conspicuous place at the farm.

6. Responsibility of poultry farm owner or farm operator.- (1) The owner or operator of farm or company or society or organisation shall be responsible for ensuring the compliance of these rules as per the given environmental conditions for the welfare of laying hens.

(2) In case of contract farming between contractor and farmers, where inputs for poultry farming are provided to the farm owner by the contractor, both the farm owner and the contractor shall be responsible for ensuring compliance of these rules.

(3) Where a farm is owned by a Government, the responsibility of compliance of these rules shall be on the head of the institution.

7. Power to authorise inspection.- For the purposes of ensuring compliance, the Animal Husbandry Department of the State or Union territory or the Board or the State Board or District Society for Prevention of Cruelty to Animals may authorise officials of appropriate level to inspect any farm, and submit a report containing the findings of such inspection to the Registration Authority and officials of appropriate level may, –

(i) enter at any reasonable time and inspect the farm; and require any person to produce farm layout records kept by him in respect of the registered farm.

(ii) during the inspection, the inspecting official shall follow biosecurity protocols and norms as specified by the Department of Animal Husbandry of concerned State of Union territory;

(iii) no inspector shall visit more than one farm within a period of seventy two hours for biosecurity concerns to prevent the spread of infection and he should keep the record for all of his visits to ensure biosecurity protocols.

8. Space allowance for laying hens.- All new farms or replacement of old cages (whatever name called) must meet following specification, namely:-

(i) The floor space per bird shall not be less than five hundred and fifty square centimeter; and

(ii) each enclosures should accommodate preferably a minimum of six to eight birds, thus ensuring reasonable space for laying hens for lying down, standing up, flapping wings, turning around and access to feed and water.

9. Maintenance records of space allowance.- (1) The farm owner or the operator shall ensure that the maximum housing density is not exceeded and maintain records of the total floor area available to the laying hens; the space allowances and maximum number of birds kept within the house.

(2) The farm owner or the operator shall maintain the record of available number of birds, the daily mortality and number culled.

(3) The records shall be made available for inspection by the prescribed authority.

Explanation.- For the purpose of this rule, the explanation "prescribed authority" means such authority as may be notified by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.

10. Prohibited for feeding of laying hens.- The following shall be prohibited for feeding of laying hens, namely:-

(i) feeding of laying hens with remains of dead chicks.

(ii) use of antimicrobial growth promoters.

(iii) use of antimicrobials, if required, may be administered for therapeutic purposes (disease treatment) and only under supervision of a veterinarian and

(iv) withdrawal of feed to induce a molting.

11. Veterinary Care.– (1) The farm owner or farm operator shall deploy adequate manpower including registered veterinarian to provide adequate management and veterinary care during housing and in emergency medical care.

(2) The emergency contact details of the veterinarian should be displayed at a conspicuous part of the farm.

12. Euthanasia of male chicks.- The hatcheries shall use any of the procedure for euthanasia for male chicks as provided in the guidelines for World Organization of Animal Health.

13. Disposal of spent laying hens.- The farm shall sell the spent laying hens preferably to the licensed slaughter houses or to a registered trader and transport and slaughter of spent laying hens shall be in accordance with the applicable laws for the time being in force.

14. Cancellation of Registration.- If any poultry farm is not maintained in the manner required under these rules, the Registering Authority may, after serving a show cause notice in writing, and giving an opportunity to the person to reply on such show cause notice within a period of thirty days, cancel the certificate of registration.

15. Revocation of Registration.- If the farm complies with the deficiencies identified during the inspection within a specific time frame, the Registering Authority shall consider for revival of the registration.

16. Appeal.- Any person aggrieved by any order regarding refusal or cancellation of registration of any farm may make an appeal to such officer or authority as may be specified by the State Government within a period of one month from the date of such order.

17. Penalties.- If any person owning or having charge of farms contravenes the rules, he shall be punishable with fine as provided under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and when the contravention is by an entity, the person in-charge and having administrative control over the farm shall be deemed to be guilty of the offence and shall be punishable accordingly.

18. Enforcement time.– (1) The State Government shall notify the administrative provisions necessary to comply with these rules on or before 31st day of July, 2023 and such States shall forthwith

inform the same to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, New Delhi.

(2) The existing farms shall adopt the new animal welfare guidelines on or before 1st January, 2029.

[F.No.R-99014/13/2019-Anlm-Dadf]

Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.03.01 09:50:23 +05'30'